न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	21.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री शकंरलाल शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा विकेता / मेनेजर मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्ट बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोक राज0 निवासी हरिपुरा पोस्ट सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

2–श्री मोहन सिंह हाडा पुत्र श्री भवंर सिंह मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्केटिग प्रा0लि0 प्लॉट नं0 2688 ग्राउण्ड फलोर खुशी एनक्लेव,सचिवालय नगर सीतापुरा सांगानेर जयपुर राज0 निवासी–98 रधुनाथपुरी बी–2 एयरपोर्ट सांगानेर जयपुर राज0

3–श्री मानवेन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री विजय सिंह परिहार डायरेक्टर मैसर्स परिहार मसाला 11 कुसुम विहार विस्तार राम नागरिया रोड जगतपुरा जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव धारा 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 21.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.12.2020 को समय 3.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्ट बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोक राज0पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री शकंरलाल शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा विकेता / मेनेजर मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्ट बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोक राज0 निवासी हरिपुरा पोस्ट सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड (Red Chilli Powder Khawaish Brand)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री शकंर लाल शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शकंर लाल शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 200–200 ग्राम के 18 पॉली पैक **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड (Red Chilli Powder Khawaish Brand)** रखे हुये मे से 200–200 ग्रम के 12 मूल पैक का चयन कर तोलने की मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री शकंर लाल शर्मा को रू0 540/–अक्षरे पॉच सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड (Red Chilli Powder Khawaish Brand)** 200–200 ग्राम के 12 नग को ज्यो का त्यो बराबर–बराबर 3–3 नग को चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2599 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2599 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. शकंर लाल शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री शकंर लाल शर्मा ने मौके पर **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड (Red Chilli Powder Khawaish Brand)** का कोई बिल पेश नही किया। श्री शर्मा से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्केटिग प्रा0लि0 प्लॉट नं0 2688 ग्राउण्ड फलोर खुशी एनक्लेव,सचिवालय नगर सीतापुरा सांगानेर जयपुर राज0का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 2615 दिनांक 02.12.2020 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्केटिग प्रा0लि0 प्लॉट नं0 2688 ग्राउण्ड फलोर खुशी एनक्लेव,सचिवालय नगर सीतापुरा सांगानेर जयपुर राज0 से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स परिहार मसाला 11 कुसुम विहार विस्तार राम नागरिया रोड जगतपुरा जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 12 दिनांक 01.12.2020 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:20 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर [illegible] की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील [illegible] एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4432 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2356/एक्ट/2020/2244 दिनांक 17.12.2020 अनुसार शकंर लाल शर्मा से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड** (Red Chilli Powder Khawaish Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a) 3(1) (zf) (b) (ii) 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड** (Red Chilli Powder Khawaish Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 एंव अप्रार्थी संख्या 2 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड** (Red Chilli Powder Khawaish Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर ख्वाईश ब्राण्ड** (Red Chilli Powder Khawaish Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शकंरलाल शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा विकेता/मेनेजर मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्ट बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोक राज0 निवासी हरिपुरा पोस्ट सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री मोहन सिंह हाडा पुत्र श्री भवंर सिंह मैसर्स लक्ष्य प्राईम मार्केटिंग प्रा0लि0 प्लॉट न0 2688 ... खुशी एनक्लेव,सचिवालय नगर सीतापुरा सांगानेर जयपुर राज0 ... एयरपोर्ट सांगानेर जयपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी ... सिंह परिहार पुत्र श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विजय सिंह परिहार डायरेक्टर मैसर्स परिहार मसाला 11 कुसुम विहार विस्तार राम नागरिया रोड जगतपुरा जयपुर राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:20 IST
Reason: SelfAttested